प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 6919/2021

अनिल कुमार सोती और अन्य ..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

कलेक्टर बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के माध्यम से

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

नि र्ण य

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. प्रथम अपील संख्या 440/1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश 16.04.2019 दिनांकित से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं–मूल दावेदारों द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है और अधिगृहीत भूमि का बाजार मूल्य केवल 7,100/– रूपये प्रति एकड़ निर्धारित किया है, मूल भूमि मालिकों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यह कि ग्राम रवाली में स्थित अपीलकर्ताओं की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की गई थी।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एतस्मिन्पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना दिनांक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16.05.1981 को जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने रु. 5,218.39/ प्रति एकड़ मुआवजे का निर्धारण किया।दावेदारों के मामलों में अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला न्यायालय में 12,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का दावा किया गया था।इस संदर्भ में न्यायालय ने अन्य सभी वैधानिक लाभों के साथ मुआवजे को 5,218.39 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 6,696.70 रुपये प्रति एकड़ कर दिया, जो अधिनियम के तहत उपलब्ध हो सकता है। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर किया।दावेदारों ने गांव की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में एक अन्य मामले में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय के आधार पर 15,402 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की प्रार्थना की , लेकिन अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक 19.12.1981 को जारी अधिसूचना के संबंध में।यह कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा और बिक्री विलेख कापी दिनांक 23.12.1980 पर अवलम्ब लिया और विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से उक्त अपील की अनुमति दी है और रु. 7,100/प्रति एकड़ की दर से मुआवजा निर्धारित किया है।

3. मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु. 7,100/– प्रति एकड़ करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, केवल मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता–मूल दावेदारों ने पुरजोर तरीके से कहा कि उच्च न्यायालय ने केवल 7,100 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा निर्धारित करने और देने में भौतिक रूप से गलती की है।

4.1 यह कहा गया है कि गाँव की भूमि के अधिग्रहण के लिए संदर्भ न्यायालय ने 15,402/– रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का निर्धारण और आदेश

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिया लेकिन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 19.12.1981 को जारी की गई थी।यह कहा गया है कि उस मामले में संदर्भ न्यायालय ने वर्ष 1978 के बिक्री विलेख पर अवलम्ब लिया और उसके बाद मुआवजे का बाजार मूल्य 15,402/– रूपये प्रति एकड़ पर निर्धारित किया।यह कहा गया है कि उस मामले में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उस मामले में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय को 15,402 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित करने और मुआवजा देने को बाद में वापस ले लिया गया है। यह कहा गया है कि इसलिए सरकार ने उसी गाँव के अधिगृहीत भूमि के संबंध में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक 19.12.1981 को अधिसूचना जारी की गई थी।इसलिए यह कहा गया है कि अपीलकर्ता 15,402/– प्रति एकड़ के मुआवजे के भी हकदार हैं।

5. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता–राज्य द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.12.1980 के बिक्री विलेख पर विचार करते हुए 7,100/– रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का सही निर्धारण किया है, जिसे भूमि के अधिग्रहण की तिथि के अनुमानित /निकटस्थ कहा जा सकता है।इसलिए यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

7. प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है और यह निर्विवाद है कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 16.05.1981 को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जारी की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मुआवजे का निर्धारण 7,100 रूपये प्रति एकड़ किया है।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसी गांव की अधिगृहीत भूमि के संबंध में जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 19.12.1981 को जारी की गई थी जिसमें संदर्भ न्यायालय ने एक अन्य मामले में 15,402 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा निर्धारित किया।15,402 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का निर्धारण करने वाले एक अन्य मामले में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद (जो वर्तमान मामले में दावेदारों द्वारा बहुत अधिक निर्भर है) संदर्भ न्यायालय ने वर्ष 1978 के बिक्री विलेख का उदाहरण माना था।इसलिए, ऐसा नहीं है कि एक अन्य मामले में जिस बिक्री विलेख पर अवलम्ब लिया गया वह दिनांक 16.05.1981 (वर्तमान मामले में भूमि का अधिग्रहण) और 19.12.1981 (किसी अन्य मामले में अधिग्रहण की तारीख) के बीच की अवधि के लिए था।बाजार मूल्य/मुआवजे का निर्धारण करते समय कानून के स्थापित पूर्वसर्ग के अनुसार, स्थान के लिए निकटता में अधिग्रहण के पिछले उदाहरण और संचयी वृद्धि के साथ भूमि अधिग्रहण की संभावना प्रासंगिक विचार है। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 4 के तहत दो अधिसूचनाओं के बीच का समय अंतराल केवल सात माह है। अधिनियम की धारा 4 के तहत दो अधिसूचनाओं के बीच 16.05.1981 और 16.12.1981 के बीच की अवधि के लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके विपरीत, उसी गांव की अधिग्रहित भूमि के संबंध में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसके लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना 19.12.1981 को जारी की गई थी, के बाद संदर्भ न्यायालय ने मुआवजा 15,402/– रूपये प्रति एकड़ निर्धारित किया।उस मामले में संदर्भ न्यायालय ने 1978 के बिक्री विलेख उद्धरण पर अवलम्ब लिया।15,402 रुपये प्रति एकड़ के बाजार मूल्य /मुआवजे का निर्धारण करने के मामले में संदर्भ

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अंतिम रूप प्राप्त हो गया है राज्य ने उक्त निर्णय और अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील वापस लेते हुए इसे स्वीकार कर लिया है।इसलिए, वर्तमान परिस्थितियों में, अपीलकर्ता 15,402 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के हकदार होंगे।

8. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित लागू किया गया निर्णय और आदेश इसके द्वारा संशोधित किया जाता है और यह अवधारित किया जाता है कि अपीलकर्ता अन्य सभी वैधानिक लाभों के साथ 15,402/– रूपये प्रति एकड़ भूमि के मुआवजे के हकदार होंगे जो कम न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के अधीन अधिनियम के तहत उपलब्ध हो सकता है।तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति संजीव खन्ना)

नई दिल्ली,

23 नवम्बर 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"